

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।


भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या.....500...../2023

12.09.2023

आवेदक 1. श्री सुनिल कुमार 2. श्री मुरारी कुमार दोनों के पिता श्री टुपलाल राम
3. श्री मनीष कुमार 4. श्री अंशु कुमार दोनों के पिता स्व० अनिल कुमार,
साकिन-रौंछी-पटना रोड़, पोस्ट- झुमरी तिलैया, थाना- तिलैया, जिला-कोडरमा
द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
गुमो	12	372	5642	5.03 डी०	रैयती


अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच
प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें।
अभिलेख दिनांक 20/09/2023 को प्रस्तुत करें।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।
हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया
गया है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-372, प्लॉट, सं०-5642, रकवा-52
डी०, खाता सं०-526, प्लॉट, सं०-5670, रकवा-27.98 डी०, कुल रकवा-79.98 भूमि
पंजी-II के पुष्ठ संख्या-1, भाग संख्या-41 पर श्री टुपलाल राम पिता गुरुचरण राम
के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत है।
उक्त भूमि केवाला सं०-8691 दिनांक 25.05.1976 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते
की है। शपथ पत्र संख्या-21 दिनांक 01.09.2023 (नॉटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल
प्रति संलग्न किया गया है।

यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of
Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के
न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो
विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा

20.09.2023